



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या-14/2018/1648/77-3-18-03एन/01
लखनऊ: दिनांक 18 मई, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या-1280/77-3-15-03एन/01, दिनांक 18.12.15 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, ग्रामों की सूची में, क्रम संख्या-80 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी :-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4
81.	दस्तमपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
82.	धनसिया	जेवर	गौतमबुद्धनगर
83.	दयौरार	जेवर	गौतमबुद्धनगर
84.	अहमदपुर चौगोली	जेवर	गौतमबुद्धनगर
85.	बंकापुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
86.	पारोही	जेवर	गौतमबुद्धनगर
87.	रोही	जेवर	गौतमबुद्धनगर
88.	किशोरपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
89.	मुकीमपुर सिवारा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
90.	साबौता मुस्तफाबाद	जेवर	गौतमबुद्धनगर
91.	रामनेर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
92.	बनवारीबास	जेवर	गौतमबुद्धनगर
93.	खवाजपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
94.	थोरा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
95.	नीमका शाहजहाँपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
96.	जेवर बांगर	जेवर	गौतमबुद्धनगर

आज्ञा से,

सीताराम यादव
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-14/2018/1648(1)/77-3-18, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01- संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि इस अधिसूचना को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करके गजट की 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।
- 02- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 03- अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ०प्र० लखनऊ।
- 04- अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
- 05- सचिव, नगर विकास विभाग।
- 06- सचिव, आवास विभाग।
- 07- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 08- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 09- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव।